[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3545 (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क, धारा 271चकक और धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बाइसवाँ संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) नियम 114ख, नियम 114ग और नियम 114घ 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत होंगे और नियम 114ड. 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत होगा ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114ख, नियम 114ग, नियम 114घ और नियम 114ङ. के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"114ख. वे संव्यवहार, जिनके संबंध में धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए सभी दस्तावेजों में स्थायी लेखा संख्यांक को कोट किया जाएगा-

प्रत्येक व्यक्ति नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में अपने स्थायी लेखा संख्यांक को कोट करेगा, अर्थात् :--

सारणी

क्र.सं.	**संव्यवहार की प्रकृति**	**संव्यवहार का मूल्य**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	दुपहिया यानों से भिन्न किसी मोटरयान या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित मोटरयान का क्रय या विक्रय, जिसका उस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है ।	ऐसे सभी संव्यवहार ।
2.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है), के पास खाता (क्रम सं0 12 में निर्दिष्ट सावधिक जमा और आधारभूत बैंक जमा बचत खाता से भिन्न) खोलना ।	ऐसे सभी संव्यवहार ।

3.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक को जिसे जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) या किसी अन्य कंपनी या संस्था को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करना,	ऐसे सभी संव्यवहार ।
4.	किसी निक्षेपागार सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक या भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास डीमैट खाता खोलना ।	ऐसे सभी संव्यवहार ।
5.	किसी एक समय किसी होटल या रेस्टोरेंट को किसी बीजक या बीजकों के लिए संदाय करना ।	पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम का नकद संदाय ।
6.	किसी विदेश यात्रा के संबंध में संदाय या किसी समय किसी विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम का नकद संदाय ।
7.	किसी पारस्परिक निधि को उसकी यूनिटों के क्रय के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक रकम ।
8.	किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी डिबेंचरों या बंधपत्रों का अर्जन करने के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक रकम ।
9.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को उसके द्वारा जारी बंधपत्रों का अर्जन करने के लिए संदाय ।	पचास हजार रुपए से अधिक रकम ।
10.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) के पास जमा ।	किसी एक दिन के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक नकद जमा ।
11.	किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) से बैंक ड्राफ्ट, पे-आडर या बैंकर्स चेकों का क्रय ।	किसी एक दिन के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक नकद जमा ।
12.	निम्नलिखित के पास सावधिक जमा,- (i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या	पचास हजार रुपए से अधिक की रकम या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक की कुल रकम ।

	बैंककारी संस्था है) ; (ii) डाकघर ; (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट कोई निधि ; या (iv) कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झक के अधीन जनता से जमा रखने या स्वीकार करने के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र है ।	
13.	किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक को, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) या किसी अन्य कंपनी या संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन जारी पूर्व संदत्त संदाय लिखतों को जारी और उनका प्रवर्तन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथापरिभाषित एक या अधिक पूर्व संदत्त लिखतों के लिए संदाय ।	किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक कुल रकम का नकद या बैंक ड्राफ्ट या पे-आडर या बैकर्स चेक के माध्यम से संदाय ।
14.	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 9 में यथापरिभाषित किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम का संदाय ।	किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक की कुल रकम ।
15.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों से भिन्न) का विक्रय या क्रय करने के लिए संविदा ।	प्रति संव्यवहार एक लाख रुपए से अधिक रकम ।
16.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी के, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, के शेयरों का क्रय या विक्रय ।	प्रति संव्यवहार एक लाख रुपए से अधिक रकम ।
17.	किसी स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय ।	दस लाख रुपए से अधिक रकम या अधिनियम की धारा 50ग में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित दस लाख रुपए से अधिक कोई रकम ।
18.	इस सारणी के क्रम सं0 1 से 17 में विनिर्दिष्ट से भिन्न वस्तुओं या सेवाओं का किसी व्यक्ति द्वारा क्रय या विक्रय ।	प्रति संव्यवहार दो लाख रुपए से अधिक रकम ।

परंतु जहां कोई व्यक्ति इस नियम में निर्दिष्ट संव्यवहार में प्रविष्ट होता है, जो अवयस्क है और जिसके पास आयकर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, वह उक्त संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में यथास्थिति, अपने पिता या माता या अभिभावक के स्थायी लेखा संख्यांक को कोट करेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जिसके पास स्थायी लेखा संख्यांक नहीं है और जो इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार में प्रविष्ट होता है, वह प्ररूप 60 में ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियों को देते हुए एक घोषणा करेगा :

परंतु यह भी कि इस नियम के उपबंध व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :--

(i) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और कंसुलर कार्यालय ;

(ii) सारणी के क्रम सं0 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 10 या 12 या 14 या 15 या 16 या 17 में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में अधिनियम की धारा 2 के खंड 30 में निर्दिष्ट अनिवासी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(1) "यात्रा के संबंध में संदाय" के अंतर्गत किराए या यात्रा अभिकर्ता या टूर आपरेटर या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय सम्मिलित है ;

(2) "यात्रा अभिकर्ता या टूर आपरेटर" के अंतर्गत कोई व्यक्ति सम्म्िलित है, जो वायु, भूतल या समुद्री यात्रा के लिए इंतजाम करता है या आवास, टूर, मनोरंजन, पासपोर्ट, वीजा, विदेशी मुद्रा, यात्रा से संबंधित बीमा या यात्रा से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए पृथकत: या किसी पैकेज में सेवाएं उपलब्ध कराता है ;

(3) "सावधिक जमा" से कोई जमा अभिप्रेत है, जिसका नियत अवधि के अवसान पर पुनर्संदाय किया जाना है ।

114ग. नियम 114ख में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों में स्थायी लेखा संख्यांक का सत्यापन ,-

(1) कोई व्यक्ति, जो,-

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई महानिरीक्षक है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति है, जो स्थावर संपत्ति या मोटरयान का क्रय करता है ;

(ग) नियम 114ख के क्रम सं0 2 या 3 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक का कोई प्रबंधक या अधिकारी है ;

(घ) डाकपाल है ;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्टाक ब्रोकर, सब ब्रोकर या शेयर अंतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम का बैंकर, किसी न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम का रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, विनिधान सलाहकार और रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य मध्यवर्तियां हैं ;

(च) नियम 114ख के क्रम सं0 4 में निर्दिष्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार, सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति ;

(छ) नियम 114ख के क्रम सं0 3 या 4 या 8 या 12 या 13 या 15 या 16 में निर्दिष्ट किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी ;

(ज) नियम 114ख के क्रम सं0 2 या 3 या 8 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट किसी संस्था का प्रधान अधिकारी ;

(झ) नियम 114ख के क्रम सं0 7 में निर्दिष्ट कोई न्यासी या किसी पारस्परिक निधि के न्यासी द्वारा सम्कत: प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ञ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण बैंक ;

(ट) नियम 114ख के क्रम सं0 14 में निर्दिष्ट किसी बीमाकर्ता का कोई प्रबंधक या अधिकारी ;

जिसने नियम 114ख में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त किया है, सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकत: और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकत: प्रस्तुत की गई हैं ।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है, जो नियम 114ख के क्रम सं0 5 या 6 या 18 में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में बीजक प्रदान कर रहा है, जिसने कोई दस्तावेज जारी किया है सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकत: और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकत: प्रस्तुत की गई हैं ।

114घ. वह समय और रीति, जिसमें नियम 114ग में निर्दिष्ट व्यक्ति प्ररूप 60 में अंतर्विष्ट विशिष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे,-

(1) निम्नलिखित में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति,-

(I) नियम 114ग के उपनियम (1) के खंड (ख) से खंड (ट) ; और

(II) नियम 114ग के उपनियम (2) में, जिससे अधिनियम की धारा 44कख के अधीन उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाना अपेक्षित है,

जिसने नियम 114ख में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् प्ररूप संख्या 60 में कोई घोषणा प्राप्त की है,

(i) निदेशक, आयकर, (आसूचना और आपराधिक जांच), संयुक्त निदेशक, आयकर, (आसूचना और आपराधिक जांच) को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट सर्वर को इलेक्ट्रानिकी डाटा के आनलाइन पारेषण के माध्यम से ऐसी घोषणा की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए प्ररूप संख्या 61 में विवरण प्रस्तुत करेगा और एक अभिस्वीकृति संख्या अभिप्राप्त करेगा ; और

(ii) उस वित्तीय वर्ष, जिसमें संव्यवहार किया गया था, के अंत से छह वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप संख्या 60 को प्रतिधारित करेगा ।

(2) उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विवरण,-

(i) जहां घोषणाएं 30 सितंबर तक प्राप्त की जाती हैं, उस वर्ष के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाएगा ; और

(ii) जहां घोषणाएं 31 मार्च तक प्राप्त की जाती हैं, उस वर्ष, जिसमें प्ररूप प्राप्त किया गया था, के तुरंत पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विवरण का निम्नलिखित दशाओं में सत्यापन किया जाएगा,-

(क) उस दशा में विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 140 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (7) में यथाविनिर्दिष्ट कोई निर्धारिती है ;

(ख) किसी अन्य दशा में, नियम 114ग में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ।

114 ड़ वित्तीय संव्यवहारों के विवरण का प्रस्तुत किया जाना .-

(1) अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित वित्तीय संव्यवहारों का विवरण, किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में प्ररूप सं. 61क में प्रस्तुत किया जाएगा और उसे उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट विवरण, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उप नियम (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत या लेखबद्ध किया गया है, अर्थात् :-

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति और मूल्य	व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्टिंग व्यक्ति)
(1)	(2)	(3)
1.	(क) किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक के कुल मूल्य वाले बैंक ड्राफ्टों या संदाय आदेशों या बैंकर चैक के क्रय के लिए नकद में किए गए संदाय । (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल दस लाख रुपए या अधिक के नकद के संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूर्व संदत्त लिखतों के क्रय के लिए किए गए संदाय । (ग) किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खाते में या उससे पचास लाख रुपए या अधिक के कुल नकद निक्षेप या नकद निकाला जाना (जिसके अंतर्गत वाहक चैक के माध्यम से निकाली गई रकम भी है ।)	कोई बैंककारी कंपनी या कोई सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ।
2.	किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते और सावधि निक्षेप से भिन्न खाते) में दस लाख रुपए या अधिक के कुल मूल्य के नकद निक्षेप ।	(i) कोई बैंककारी कंपनी या कोई सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) । (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल ।
3.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक सावधि निक्षेपों (किसी अन्य	(i) कोई बैंककारी कंपनी या कोई

	सावधि निक्षेप के नवीकरण के माध्यम से किए गए सावधि निक्षेप से भिन्न) में किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम का सावधि निक्षेप ।	सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) । (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल । (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट निधि ; (iv) ऐसी कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो जनता से निक्षेप धारण या स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 6) की धारा 45 झक के अधीन रजिस्ट्रकरण प्रमाणपत्र धारण करती है ।
4.	किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निम्नलिखित कुल रकम के संदाय- (i) नकद में एक लाख या अधिक ; या (ii) किसी अन्य पद्धति द्वारा दस लाख रुपए या अधिक, जिसका संदाय उस व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में, उसे जारी एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के संबंध में जारी बिल के लिए किया गया है ।	कोई बैंककारी कंपनी या कोई सहकारी बैंक, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कोई अन्य कंपनी या संस्था ।
5.	किसी व्यक्ति से किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक की रकम की प्राप्ति, जिसे किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बंधपत्रों या डिबेंचरों के अर्जन के लिए प्राप्त किया गया है (उस कंपनी द्वारा जारी बंधपत्र या डिबेंचर के नवीकरण के मद्दे प्राप्त रकम से भिन्न) ।	बंधपत्र या डिबेंचर जारी करने वाली कोई कंपनी या संस्था ।

6.	किसी व्यक्ति से दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम की प्राप्ति, जिसे किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जारी शेयरों का अर्जन करने के लिए प्राप्त किया गया है (जिसके अंतर्गत शेयर आवेदन धन भी है) ।	शेयर जारी करने वाली कोई कंपनी ।
7.	किसी व्यक्ति से क्रय द्वारा शेयर वापिस लेना (खुले बाजार में क्रय किए गए शेयरों से भिन्न) जिसके लिए किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम या मूल्य के लिए संदाय किया गया है ।	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 के अधीन अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई कंपनी ।
8.	किसी व्यक्ति से, किसी वित्तीय वर्ष में किसी परस्पर निधि की एक या अधिक स्कीमों के यूनिटों का अर्जन करने के लिए दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम की प्राप्ति (उस परस्पर निधि की एक स्कीम से अन्य स्कीम में अंतरण के मद्दे प्राप्त रकम से भिन्न) ।	किसी परस्पर निधि का कोई न्यासी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उस परस्पर निधि के कार्यों का प्रबंधन कर रहा है, जिसे न्यासी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ।
9.	किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा के विक्रय के लिए, जिसके अंतर्गत किसी विदेशी विनिमय में ऐसी मुद्रा का कोई प्रत्यय या डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऐसी मुद्रा का व्यय या कोई यात्री चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य लिखत द्वारा ऐसी मुद्रा में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपए या अधिक की कुल रकम के व्यय के लिए प्राप्ति ।	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति ।
10.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय जिसकी कीमत तीस लाख रुपए या अधिक है या जिसका मूल्य स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50ग में निर्दिष्ट किए गए अनुसार तीस लाख रुपए या अधिक निश्चित किया गया है ।	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक या उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्ति रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ।
11.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकृति के माल या सेवाओं के विक्रय के लिए दो लाख रुपए से अधिक के नकद संदाय की प्राप्ति (इस नियम के क्रम सं. 1 से 10 में विनिर्दिष्ट से भिन्न, यदि की हों) ।	ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है ।

(3) सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित रिपोर्टिंग व्यक्ति, उपनियम (2) के अधीन (क्रम सं. 9 में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न), उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट किए जाने के लिए अवसीमा रकम का अवधारण करने के लिए,-

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में बनाए रखे गए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी खातों को ध्यान में रखेगा ;

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में लेखबद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी संव्यवहारों के कुल योग को ध्यान में रखेगा ;

(ग) उस दशा में, जहां खातों को एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है या संव्यवहार को एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर लेखबद्ध किया जाता है, वह संव्यवहार या सभी संव्यवहारों के कुल मूल्य के संपूर्ण मूल्य को सभी व्यक्तियों पर गुणारोपित करेगा ;

(घ) उक्त सारणी के क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (2) के अधीन मद (ग) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में अवसीमा को पृथक् रूप से निक्षेपों और आहरणों को लागू करेगा ।

(4) (क) विवरण को, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप सं. 61क में आय कर निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) या आय कर संयुक्त निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) को उप नियम (7) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी सर्वर को इलैक्ट्रोनिक डाटा के आनलाइन पारेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और यह आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार किया जाएगा :

परंतु रिपोर्टिंग व्यक्ति के उप नियम (2) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल या रजिस्ट्रार या कोई महा निरीक्षक होने की दशा में, प्ररूप 61क में दिए जाने वाले उक्त विवरण को किसी कंप्यूटर में पठनीय मीडिया में प्रस्तुत किया जा सकेगा जो कि कोई कंपेक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) के रूप में हो सकेगी और उसके साथ पत्र में प्ररूप V में सत्यापन प्रस्तुत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए, "अंकीय हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा, जो प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, जारी कोई अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है ।

(ख) आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) डाटा तक सुरक्षित पहुंच और उसके पारेषण के लिए उपयुक्त सुरक्षा विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने, आर्किवल और रिट्रीवल नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, डाटा संरचनाएं और मानक विनिर्दिष्ट करेगा ।

(ग) बोर्ड विवरणियों या विवरणों को प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए सूचना विवरण प्रशासक के रूप में किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगा, जो आय कर संयुक्त निदेशक की रैंक से न्यून नहीं होगा ।

(5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों के विवरण को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें संव्यवहार रजिस्ट्रीकृत या लेखबद्ध किया गया था, से ठीक पश्चात् 31 मई को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) (क) उप नियम (2) के अधीन सारणी स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक रिपोर्टिंग व्यक्ति आय कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) को पदाभिहित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नं. संसूचित करेगा और उससे एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अभिप्राप्त करेगा।

(ख) उप नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, उसके पदाभिहित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके विनियामक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सूचना को बनाए रखने संबंधी प्रक्रिया और रीति का पालन करें तथा अधिनियम की धारा 285खक और इस नियम तथा नियम 114ख से 114घ के अधीन अधिरोपित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

स्पष्टीकरण 1- "पदाभिहित निदेशक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 285खक और इस नियम तथा नियम 114ख से 114घ के अधीन अधिरोपित बाध्यताओं का सकल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पदाभिहित किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित प्रबंध निदेशक या कोई पूर्णकालिक निदेशक, जिसे यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई कंपनी है तो निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है;

(ii) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई भागीदारी फर्म है तो प्रबंध भागीदार ;

(iii) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई स्वायत्त इकाई है तो उसका स्वामी ;

(iv) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई न्यास है तो प्रबंध न्यासी ;

(v) यदि रिपोर्टिंग व्यक्ति कोई अनिगमित संगम या व्यष्टिक निकाय या कोई अन्य व्यक्ति है तो, यथास्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति या व्यष्टि, जो रिपोर्टिंग अस्तित्व के कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध करता है।

स्पष्टीकरण 2 – "प्रधान अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उप नियम (2) की सारणी में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा पदाभिहित किया गया है।

स्पष्टीकरण 3 – "विनियामक" से ऐसा कोई व्यक्ति या प्राधिकरण या कोई सरकार अभिप्रेत है जिसमें उपनियम (2) की सारणी में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति के क्रियाकलापों का विनियमन या अधीक्षण करने या उसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने, उसे प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत, विनियमित करने की शक्ति निहित है।

(7) उप नियम (1) में निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के विवरण को उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट पदाभिहित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहां रिपोर्टिंग व्यक्ति अनिवासी है, वहां विवरण को ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षिरत, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो ऐसे पदाभिहित निदेशक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारण करता है।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, "प्ररूप 60, प्ररूप 61 और प्ररूप 61क" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित "प्ररूप 60, प्ररूप 61 और प्ररूप 61क" रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप सं0 60/ नियम114ख का दूसरा परंतुक देखिए/

उस व्यष्टि या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा फाइल किए जाने वाला घोषणा का प्ररूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

1	प्रथम नाम		2	घोषणा करने वाले की जन्म/निगमन की तारीख						
	मध्य नाम			D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	उपनाम									

3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	प्रथम नाम	
	मध्य नाम		
	उपनाम		

4	फ्लैट/कमरा नं0	5	तल सं0
6	परिसर का नाम	7	ब्लॉक का नाम/सं0
8	सड़क/गली/लेन	9	क्षेत्र/अवस्थिति

10	नगर/शहर	11	जिला	12	राज्य
13	पिन कूट	14	टेलीफोन संख्या (एसटीडी कूट सहित)	15	मोबाइल नंबर

16	संव्यवहार की रकम (रु0)									18	संयुक्त नाम से संव्यवहार होने की दशा में, संव्यवहार में सम्मिलित हाने वाले व्यक्तियों की संख्या
17	संव्यवहार की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y		

19	संव्यवहार का प्रकार : ☐ नगद, ☐ चैक, ☐ कार्ड, ☐ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, ☐ ऑनलाइन स्थानांतरण, ☐ अन्य
20	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध)

21	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और वह अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

22	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में संव्यवहार किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यसक संतान की आय भी सम्मिलित है) भरी जाएगी ।	
	क	कृषि आय (रु.)
	ख	कृषि से अतिरिक्त आय (रु.)

23	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	देस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
24	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे	देस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

सत्यापन

मैं.. यह घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । मैं आगे और यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यसक संतान की आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त संव्यवहार किया गया है आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित की गई है जो अधिकतम करप्रभार्य आय से कम है ।

आज तारीख ....2015 को सत्यापित किया जाता है ।

स्थान :................................

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी पूर्णरूप से सही है, सत्य है और संपूर्ण है । यदि कोई व्यक्ति घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंडनीय होगा,--
   (i) ऐसी दशा में अपवंचन के लिए कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है कठोर कारावास से जो छ: मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
   (ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर से प्रभार्य नहीं है सिवाय तब स्थायी लेखा संख्या लागू की जाती है और स्तंभ 21 समयक्ता भरा जाता है ।

<u>अनुदेश</u>:

(1) पहचान और पते के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है) :-

क्रम.		दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेज कूट	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क	**व्यष्टिकों और हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए**				
	1.	आधार कार्ड	**01**	**हां**	**हां**
	2.	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	**02**	**हां**	**हां**
	3.	निर्वाचक पहचान पत्र	**03**	**हां**	**हां**
	4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो ।	**04**	**हां**	**हां**
	5.	ड्राइविंग लाईसेंस	**05**	**हां**	**हां**
	6.	पासपोर्ट	**06**	**हां**	**हां**
	7.	पेंशनर फोटो कार्ड	**07**	**हां**	**हां**
	8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	**08**	**हां**	**हां**
	9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	**09**	**हां**	**हां**
	10.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	**10**	**हां**	**हां**
	11.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	**11**	**हां**	**हां**
	12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	**12**	**हां**	**नहीं**
	13.	हथियार लाईसेंस	**13**	**हां**	**नहीं**
	14.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	**14**	**हां**	**नहीं**
	15.	सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	**15**	**हां**	**नहीं**
	16.	बिजली बिल *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**16**	**नहीं**	**हां**
	17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**17**	**नहीं**	**हां**
	18.	पानी का बिल *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**18**	**नहीं**	**हां**
	19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**19**	**नहीं**	**हां**
	20.	बैंक खात विवरण *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**20**	**नहीं**	**हां**
	21.	क्रेडिट कार्ड विवरण *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**21**	**नहीं**	**हां**
	22.	डिपॉसिटरी अकॉउंट विवरण *(तीन माह से पुराना नहीं)*	**22**	**नहीं**	**हां**
	23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज	**23**	**नहीं**	**हां**
	24.	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	**24**	**नहीं**	**हां**
	25.	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	**25**	**नहीं**	**हां**
	26.	संपत्ति कर संदाय रसीद *(एक साल से पुराना नहीं)*	**26**	**नहीं**	**हां**
ख	व्यक्तियों के संगम (न्यास)				
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति		**27**	**हां**	**हां**
ग	व्यक्तियों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति				
	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज		**28**	**हां**	**हां**

(2) किसी अव्यसक के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में ऐसे अव्यसक के माता पिता या अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अव्यसक का पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणा को माता पिता या अभिभावक द्‌वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) हिन्दु अविभक्त कुटुंब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुंब के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा ।

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्यांक 18 में वर्णित की जाएगी और संव्यवहार की कुल रकम क्रम संख्या 16 में भरी जाएगी ।

स्तंभ 22ख में अनुमानित आय अधिकतम कर प्रभार्य आय से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा ।

प्ररूप सं0 60

*[*नियम 114घ का उपनियम (1) देखें*]*

प्ररूप 60 में प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों का विवरण

भाग क : विवरण के ब्यौरे

(**प्रत्येक विवरण प्रस्तुत करने के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी**)

क.1	**रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के ब्यौरे**	
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम	
क.1.2	आय-कर विभाग की रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व पहचान संख्या	
क.1.3	रजिस्ट्रेशन संख्या	
क.2	**विवरणी के ब्यौरे**	
क.2.1	विवरणी का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.2.2	विवरणी संख्या	
क.2.3	मूल विवरणी परिचय	
क.2.4	संशोधन के कारण	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.2.5	विवरणी की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्टों की संख्या	
क.3	**प्रधान अधिकारी के ब्यौरे**	
क.3.1	अधिकारी का नाम	
क.3.2	अधिकारी का पदनाम	
क.3.3	पता	
क.3.4	शहर/नगर	
क.3.5	डाक कूट	
क.3.6	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.3.7	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.3.8	टेनीफोन	
क.3.9	मोबाइल	
क.3.10	फैक्स	
क.3.11	ई-मेल	

भाग ख : समग्र वित्तीय संव्यवहार के ब्यौरों की रिपोर्ट

ख.1	**रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी)**	
ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.2	**व्यक्ति के ब्यौरे**	
ख.2.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.2	जन्म/निगमन की तारीख	
ख.2.3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	
ख.2.4	स्थायी लेखा संख्यां अभिस्वीकृति	
ख.2.5	आधार संख्या	
ख.2.6	पता	
ख.2.7	शहर/नगर	
ख.2.8	डाक कूट	
ख.2.9	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.10	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.11	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.2.12	अनुमानित कृषि आय	
ख.2.13	अनुमानित कृषि के अतिरिक्त आय	
ख.2.14	टिप्पणी	
ख.3	**वित्तीय संव्यवहार का सारांश**	
ख.3.1	संव्यवहार की तारीख	
ख.3.2	संव्यवहार परिचय	
ख.3.3	संव्यवहार का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.3.4	संव्यवहार की रकम	
ख.3.5	संव्यवहार का रूप	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें

प्ररूप सं0 61क

[नियम 114ङ देखें]

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 285खक(1) के अधीन विशिष्ट वित्तीय संव्यवहार का विवरण

भाग क

: **विवरण के ब्यौरे**

(प्रत्येक विवरण प्रस्तुत करने के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी)

क.1	**रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के ब्यौरे**	
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम	
क.1.2	आय-कर विभाग की रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व पहचान संख्या	
क.1.3	रजिस्ट्रेशन संख्या	
क.2	**विवरणी के ब्यौरे**	
क.2.1	विवरणी का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.2.2	विवरणी संख्या	
क.2.3	मूल विवरणी पहचान	
क.2.4	संशोधन के कारण	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.2.5	विवरणी की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्टों के प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.2.8	रिपोर्टों की संख्या	
क.3	**प्रधान अधिकारी के ब्यौरे**	
क.3.1	नाम	
क.3.2	पदनाम	
क.3.3	पता	
क.3.4	शहर/नगर	
क.3.5	डाक कूट	
क.3.6	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.3.7	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
क.3.8	टेलीफोन	
क.3.9	मोबाइल	
क.3.10	फैक्स	
क.3.11	ई-मेल	

भाग ख : समग्र वित्तीय संव्यवहार की रिपोर्ट के ब्यौरे

ख.1	**रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी)**	
ख.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.2	**व्यक्ति के ब्यौरे**	
ख.2.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.2	व्यक्ति का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.3	ग्राहक की पहचान	
ख.2.4	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.5	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	
ख.2.6	स्थायी लेखा संख्या	
ख.2.7	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	
ख.2.8	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति	
ख.2.9	पहचान का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.10	पहचान संख्या	
ख.2.11	जन्म/निगमन की तारीख	
ख.2.12	राष्ट्रियता/निगमन का देश	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.13	कारबार या वृत्ति	
ख.2.14	पता	
ख.2.15	पते का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.16	शहर/नगर	
ख.2.17	डाक कूट	
ख.2.18	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.19	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.2.20	मोबाइल/टेलीफोन नंबर	
ख.2.21	अन्य संपर्क नंबर	
ख.2.22	ई-मेल	
ख.2.23	टिप्पणी	
ख.3	**वित्तीय संव्यवहार का सारांश**	
ख.3.1	उत्पाद का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ख.3.2	व्यक्ति से प्राप्त रकम का समग्र योग	

ख.3.3	व्यक्ति से नगद में प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.3.4	व्यक्ति को संदत्त समग्र रकम का योग	
ख.3.5	टिप्पणी	
ख.4	**वित्तीय उत्पाद के ब्यौरे (प्रत्येक सुभिन्न उत्पाद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा)**	
ख.4.1	उत्पाद पहचानकर्ता	
ख.4.2	संव्यवहार की अंतिम तारीख	
ख.4.3	व्यक्ति से प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.4.4	व्यक्ति से नगद में प्राप्त रकम का समग्र योग	
ख.4.5	व्यक्ति को संदत्त समग्र रकम का योग	
ख.4.6	संबंधित लेखा संख्या	
ख.4.7	संबंधित संस्था का नाम	
ख.4.8	संबंधित संस्था की संदर्भ संख्या	
ख.4.9	टिप्पणी	

भाग ग : बैंक/ डाकघर खातों के ब्यौरों की रिपोर्ट

(रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक खाते के लिए यह जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी)

ग.1	**रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक विवरण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी)**	
ग.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
ग.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
ग.2	**लेखा ब्यौरे**	
ग.2.1	लेखा प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.2	लेखा संख्या	
ग.2.3	लेखा धारक का नाम	
ग.2.4	लेखा प्रास्थिति	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.5	शाखा संदर्भ संख्या	
ग.2.6	शाखा का नाम	
ग.2.7	शाखा का पता	
ग.2.8	शहर नगर	
ग.2.9	डाक कूट	
ग.2.10	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.11	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.2.12	टेलीफोन	
ग.2.13	मोबाइल	
ग.2.14	फैक्स	
ग.2.15	ई-मेल	
ग.2.16	टिप्पणी	
ग.3	**लेखा सारांश**	
ग.3.1	खाते में डाली गई नगद रकम का समग्र योग	
ग.3.2	खाते से निकाली गई नगद रकम का समग्र योग	
ग.3.3	टिप्पणी	
ग.4	**व्यक्ति के ब्यौरे (खाते से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी)**	
ग.4.1	खाता संबंध	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.2	व्यक्ति का नाम	
ग.4.3	व्यक्ति का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.4	ग्राहक की पहचान	
ग.4.5	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.6	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	

ग.4.7	स्थायी लेखा संख्या	
ग.4.8	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	
ग.4.9	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति	
ग.4.10	पहचान का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.11	पहचान संख्या	
ग.4.12	जन्म/निगमन की तारीख	
ग.4.13	राष्ट्रियता/निगमन का देश	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.14	कारबार या वृत्ति	
ग.4.15	पता	
ग.4.16	पते का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.17	शहर/नगर	
ग.4.18	पोस्टल कूट	
ग.4.19	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.20	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
ग.4.21	मोबाइल/टेलीफोन नंबर	
ग.4.22	अन्य संपर्क नंबर	
ग.4.23	ई-मेल	
ग.4.24	टिप्पणी	

भाग घ : अचल संपत्ति के संव्यवकार के ब्यौरों की रिपोर्ट

(रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक संव्यवहार के लिए ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी)

घ.1	**रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जाने वाले प्रत्येक संव्यवहार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी)**	
घ.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
घ.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
घ.2	**संव्यवहार के ब्यौरे**	
घ.2.1	संव्यवहार की तारीख	
घ.2.2	संव्यवहार की पहचान	
घ.2.3	संव्यवहार का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.4	संव्यवहार की रकम	
घ.2.5	संपत्ति का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.6	क्या संपत्ति नगरपालिका की परिसीमा में है	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.7	संपत्ति का पता	
घ.2.8	शहर/नगर	
घ.2.9	डाक कूट	
घ.2.10	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.11	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.2.12	स्टांप मूल्य	
घ.2.13	टिप्पणी	
घ.3	**व्यक्ति के ब्यौरे (संव्यवहार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का उपलब्ध कराई जाएगी)**	
घ.3.1	संव्यवहार संबंध	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.2	व्यक्ति से संबंधित संव्यवहार की रकम	
घ.3.3	व्यक्ति का नाम	
घ.3.4	व्यक्ति का प्रकार	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.5	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.6	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	
घ.3.7	स्थायी लेखा संख्या	
घ.3.8	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	
घ.3.9	प्ररूप 60 की अभिस्वीकृति	
घ.3.10	पहचान का प्रकार	1 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.11	पहचान संख्या	
घ.3.12	जन्म/निगमन की तारीख	
घ.3.13	राष्ट्रियता/निगमन का देश	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें

घ.3.14	पता	
घ.3.15	शहर/नगर	
घ.3.16	डाक कूट	
घ.3.17	राज्य कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.18	देश कूट	2 विशिष्ट कूट प्रविष्ट करें
घ.3.19	मोबाइल/टेलीफोन नंबर	
घ.3.20	अन्य संपर्क नंबर	
घ.3.21	ई-मेल	
घ.3.22	टिप्पणी"।	

[अधिसूचना सं0. 95/2015][एफ.सं0. 142/28/2012-(एसओ)टीपीएल]

[एकता जैन]
उप सचिव भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 978(अ), तारीख 16/12/2015 द्वारा किया गया ।

प्ररुप 61 के अनुदेश

प्रत्येक डाटा तत्व के लिए क्षेत्र की अपेक्षा उपदर्शित करता है कि क्या तत्व स्कीम में विद्यमान है या वैकल्पिक है ।

विधिमान्यकरण	"विधिमान्यकरण" तत्व किसी फाइल में अभिलेख के सभी डाटा के लिए अवश्य और कोई स्वत: चालित विधिमान्यकरण जांच होनी चाहिए । उपस्थित प्रेषक को एक्स एमएल उपकरण उपयोग करके अंतर्वस्तु डाटा फाइल की तकनीकी जांच करनी चाहिए । सुनिश्चित करने के लिए कि "विधिमान्यकरण" तत्व उपस्थित हैं और यदि वे नहीं है, प्रेषक को फाइल ठीक करनी चाहिए । आय-कर विभाग भी ऐसा ही करेगा यदि गलत है तो फाइल अस्वीकृत करेगा ।
(वैकल्पिक) आज्ञापक	आज्ञापक (वैकल्पिक) डाटा तत्व विधिमान्य स्कीम के लिए अपेक्षित नहीं है किंतु आई एस सूचना की उपलब्धता या अन्य कारक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए रिपोर्ट के लिए अपेक्षित है । ये तत्व अधिकतम (किंतु सभी में नहीं)परिस्थितियों में उपस्थित हैं, इसीलिए ऐसी विधिमान्यकरण आधारित नियम के आधार पर होगा ।
वैकल्पिक	प्ररुप में विनिर्दिष्ट कोई वैकल्पिक तत्व, रिपोर्ट किया जाए, यदि उपलब्ध है ।

विनिर्दिष्ट अनुदेश

क्रम सं.	तत्व	वर्णन	अपेक्षाएं
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम	विधिमान्यकरण
क.1.2	आईटीडीआरईआईएन (अस्तित्व पहचान सं. रिपोर्ट करने वाला आय-कर विभाग)	आईटीडीआरईआईएन आय-कर विभाग द्वारा जारी यूनिक आई डी है जो आय-कर विभाग के साथ रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् आय-कर विभाग द्वारा संसूचित किया जाएगा । आईटीडीआरईआईएन एक्स एक्स वाई वाई के प्ररुप में एक 16 अंकीय संख्या है जहां रिपोर्ट करने वाले का पैन या टैन और वाई वाई इसके फलस्वरूप उत्पन्न संख्या है । रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व वाला व्यक्ति किसी डमी सं. (पैन +99999 या टेन +9999) का उपयोग कर सकता	विधिमान्यकरण

		है जबतक आईटीडीआरईआईएन संसूचित किया जाता है ।	
क.1.3	रजिस्ट्रीकरण सं.	यह संख्या कोई रजिस्ट्रीकरण सं. है या वित्तीय संस्था के विनियमित के अनुसार तत्स्थानी में उपयोग की जाने वाली कोई संख्या है । यह संख्या रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन के दौरान विनियामक तत्स्थानी उपयोग की जाने वाली संख्या है ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
क 2.1	कथन प्रकार	प्रस्तुत किये जाने वाले कथन के प्रकार है । अनुज्ञेय मूल्य हैं : एन बी - नई सूचना अंतर्विष्ट में में नया कथन सी बी - पूर्व प्रस्तुत की गई सूचना के लिए शुद्धियों में अंतर्विष्ट कथन की शुद्धि टीडी - परीक्षण डाटा एन डी -- रिपोर्ट का कोई डाटा नहीं एक कथन में केवल एक कथन अंतर्विष्ट किया जा सकता है यहां तक कि यदि खोई सूचना प्रदाय की जानी है, किसी रिपोर्ट में वृद्धि के बजाय पूर्ण सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।	विधिमान्यकरण
क 2.2	कथन संख्या	कथन संख्या प्रेषक की यूनिक पहचान संख्या (प्रेषक द्वारा सृजित) को अभिगृहीत करने वाला एक मुक्त पाठ क्षेत्र है जो भेजे जाने वाले विशिष्ट कथन की पहचान करता है में की जाती है यदि विशिष्ट कथन भेजी जाती है । पहचानकर्ता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को विनिर्दिष्ट	विधिमान्यकरण

		कथन की पहचान करने को अनुज्ञाकर्ता है यदि बाद में कोई प्रश्न या शुद्धियां आती हैं । आयकर विभाग कथन के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात् नया यूनिक कथन आई डी भावी संदर्भ के लिए आबंटित किया जायेगा । रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को कथन संख्या और कथन आई डी के बीच संबंध बनाये रखने चाहिए 2015/01 कथन संख्या का उदाहरण है ।	
क. 2.3	मूल कथन आई डी	मूल कथन का कथन आईडी जिसे चालू कथन में रिपोर्ट द्वारा लोप या निर्दिष्ट के बदले बदला जा सकता है । यदि कथन नया है और पूर्व कथन से असंबंधित है तो “ओ” यहां उल्लेखित करें ।	विधिमान्यकरण
क.2.4	शुद्धियों का कारण	पुनरीक्षण के लिए कारण कथन किया जाए जब मूल कथन शुद्ध किया जाता है । अनुज्ञेय मूल्य हैं: क. मूल कथन की अभिस्वीकृति में अनेक गलतियां थी जिनका समाधान किया जा रहा है ख. मूल कथन में गलतियों को स्वत: प्रेरणा से शुद्ध किया जा रहा है ग. शुद्धिकरण रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है ढ. लागू नहीं होता क्योंकि यह नया कथन / परीक्षण डाटा है रिपोर्ट करने के लिए कोई डाटा	विधिमान्यकरण

		नहीं है । य. अन्य कारण ।	
क. 2.5	कथन डाटा	यह डाटा और समय की पहचान करता है जब कथन का पालन किया किया गया था । यह तत्व अतिथेय प्रणाली द्वारा अभि होगा। यह फार्मेट वर्ष/मास/दिन घंटे:मिनट:सैकंड के उपयोग के लिए है । सेकंड के अंश उपयोग नहीं किया जाता है । उदाहरण: 2016-03-15 टी09.45:30	विधिमान्यकरण
क. 2.6	रिपोर्ट करने वाली अवधि	यह वर्ष/मास/दिन में रिपोर्ट करने वाली अवधि यह पहचान करती है । उदाहरण के लिए यदि घोषणा के लिए रिर्पोट की जाने वाली सूचना 01-04-2016 से 30-06-2016 के बीच प्राप्त हुई क्षेत्र को "2016-04-01 से 2016-06-30" पढ़ा जायेगा ।	विधिमान्यकरण
क.2.7	रिपोर्टों की संख्या	कथन के भाग ख में अंतर्विष्ट रिपोर्टों की संख्या	विधिमान्यकरण
क.3.1	अभिहित निदेशक/नोडल अधिकारी का नाम	फाइल करने वाला कथन के अभिहित निदेशक या नोडल अधिकारी का नाम ।	विधिमान्यकरण
क.3.2	अभिहित निदेशक/नोडल अधिकारी का पदनाम	फाइल करने वाला कथन के संगठन में अभिहित निदेशक या नोडल अधिकारी का पदनाम ।	विधिमान्यकरण
क 3.3	पता	मकान संख्या, भवन नाम, गली, अवस्थिति, नगर, राज्य डाक कूट और देश सहित नोडल अधिकारी का पूर्ण पता	विधिमान्यकरण
क. 3.4	शहर नगरी	शहर, नगर या ग्राम का नाम	विधिमान्यकरण
क.3.5	डाक कूट	भारत के मामले में छह अंकीय पिन कूट भारतीय डाक के रूप में उल्लिखित किया जाए । यदि देश के बाहर है, संबंधित देश के कूट का उपयोग किया जा सकता है यदि पिन कूट .उपलब्ध नहीं है	विधिमान्यकरण

		एक्स एक्स का उपयोग करें ।	
क.3.6	राज्य कूट	दो अंकीय राज्य कूट भारतीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार उल्लिखित किया जाना है ।यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं है, एक्सएक्स उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
क.3.7	देश कूट	देश कूट आईएसओ 3166 के अनुसार में उल्लिखित किया जाए जैसे भारत के लिए आई एन । यदि देश कूट उपलब्ध नहीं है, एक्स एक्स उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
क.3.8	टेलिफोन	फार्मेट एसटीडी कूट टेलिफोन नं. में टेलिफोन नं. (उदाहरण 0120-2894016)	विधिमान्यकरण
क.3.9	मोबाइल	संपर्क मोबाइल सं. से पहले कृपया "शून्य" न जोड़े	विधिमान्यकरण
क.3.10	फैक्स	एस टी डी कूट में फैक्स नं. - टेलिफोन नं. (उदाहरणार्थ 0120-2894016)	वैकल्पिक
क.3.11	ई-मेल	नोडल अधिकारी का ई-मेल	विधिमान्यकरण
भाग ख	वित्त संव्यवहार के ब्यौरे	वित्तीय संव्यवहार के लिए यह भाग रिपोर्ट की जाए	विधिमान्यकरण
ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्यांक	संख्या यूनिक रूप से इस कथन के भीतर रिपोर्ट प्रतिनिधित्व करता है । रिपोर्ट क्रमसंख्या का कथन के भीतर युनिक होना चाहिए । यह संख्या कथन आईडी के साथ आईटीडी द्वारा प्राप्त किसी रिपोर्ट की यूनिक रूप से पहचान करेगा ।	विधिमान्यकरण
ख. 1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्यांक	मूल रिपोर्ट की क्रम संख्या रिपोर्ट का प्रतिस्थापिन या लोप किया जाए । यह संख्या मूल कथन आईडी के साथ, जिसे शुद्ध किया जा रहा है, यूनिक रूप से पहचान करेगी । यदि किसी रिपोर्ट में कोई शुद्धि नहीं है तो यहां "ओ" का उल्लेख करें ।	विधिमान्यकरण

ख. 2.1	व्यक्ति का नाम	व्यष्टिक या अस्तित्व का नाम	विधिमान्यकरण
ख. 2.2	जन्म की तारीख/ निगमन	व्यष्टिक वास्तविक जन्म की तारीख ; कंपनी : निगमन की तारीख; व्यक्तियों का संगम: विरचन /सृजन की तारीख, न्यास: न्यास विलेख के सृजन की तारीख: विलेख भागीदारी फर्म: भागीदारी विलेख की तारीख एल एल पी : निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख; एचयूएफ, एचयूएफ के सृजन की तारीख पैतृक एचयूएफ के लिए तारीख 1/1/01 ली जा सकती है डाटा फार्मेट दिन/मास/वर्ष में है, आज्ञापक है, यदि विधिमान्य पैन रिपोर्ट न किया जाए ।	विधिमान्यकरण
ख. 2.3	पिता का नाम (व्यष्टिक के लिए)	पिता का नाम	विधिमान्यकरण
ख. 2.4	पैन अभिस्वीकृति	यदि पैन के लिए आवेदन किया है तो उसी के लिए अभिस्वीकृति संख्या	वैकल्पिक (आज्ञापक)
ख. 2.5	आधार संख्या	व्यक्ति की आधार संख्या	वैकल्पिक (आज्ञापक)
		पहचान के समर्थन में प्रस्तुत पहचान के प्रकार अनुज्ञेय मूल्य हैं 01- आधार कार्ड, 02- व्यक्ति के फोटो के साथ बैंक/डाकघर पासबुक 03- निर्वाचक का फोटो पहचान कार्ड 04- व्यक्ति का फोटोके साथ राशन/पीडीएसकार्ड 05- चालन अनुज्ञप्ति 06- पासपोर्ट 07- पेंशनभोगी फोटोकार्ड	

ख. 2.6	पहचान की किस्म	08- एनआरईजीएस कार्यकार्ड 09- व्यक्ति के जाति या अधिवास का प्रमाणपत्र जिसमें उसका फोटो हो 10- संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्ररुप 49क में यथाविहित उपाबंध के अनुसार हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र 11- प्ररुप 49क में यथाविहित उपाबंध ख के अनुसार नियोक्ता से प्रमाणपत्र 12- किसान पासबुक जिसमें फोटो हो 13- शस्त्र अनुज्ञप्ति 14- के.स.स्.यो./भ.अ.स्.स्. कार्ड 15- सरकार/पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र 16- न्यास विलेख की प्रति या पूर्त आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति 17- करार की प्रति या पूर्त आयुक्त द्वारा या सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र की प्रति या	

		कोई अन्य दस्तावेज जिसे केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया गया हो जो ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते को स्थापित करता हो ।	
ख. 2.7	पहचान संख्या	पहचान के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज की पहचान संख्या	विधिमान्यकरण
ख. 2.8	पता	गृह सं, भवन का नाम, स्ट्रीट, लोकैल्टी, नगर, राज्य, पोस्टल कूट और देश सहित व्यक्ति का पूर्ण पता	विधिमान्यकरण
ख. 2.9	नगर/शहर	नगर शहर या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक)आज्ञापक
ख. 2.10	पोस्टल कूट	भारत की दशा में भारतीय डाक के अनुसार छह अंकीय पिन कूट का वर्णन किया जाना है, भारत से बाहर देशों की दशा में संबंधित कूट का उपयोग किया जा सकेगा । यदि पिन कूट उपलब्ध नहीं हो तोXXXXXX का उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
ख. 2.11	राज्य कूट	भारतीय मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंकीय राज्य कूट का वर्णन किया जाना है । यदि राज्य कूट उपलब्ध न हो तो XX का उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
ख 2.12	देश कूट	आईएसओ 3166 के अनुसार देश कूट का वर्णन किया जाना है । भारत के लिए आई एन का उपयोग करें, यदि देश कूट उपलब्ध न हो तो XX का उपयोग करें ।	
ख 2.13	मोबाइल /टेलिफोन न.	प्राथमिक टेलिफोन (एसटीडी कूट - टेलिफोन नं.) या मोबाइल नं.(यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख 2.14	प्राक्कलित कृषि आय	वित्त वर्ष के दौरान प्राक्कलित कृषि आय	(वैकल्पिक) आज्ञापक

ख 2.15	प्राक्कलित गैर कृषि आय	वित्त वर्ष के दौरान प्राक्कलित गैर कृषि आय	विधिमान्यकरण
ख 2.16	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य सूचना	
ख 3.1	संव्यवहार तारीख	संव्यवहार तारीख । तारीख का प्रारुप दिन/मास/वर्ष होगा	
ख.3.2	संव्यवहार आईडी	संव्यवहार की पहचान करने के लिए यूनिक आई डी, यदि कोई हो, रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्‍वारा अनुरक्षण किया जाएगा	वैकल्पिक आज्ञापक
		अनुज्ञेय मूल्य है:	
ख.3.3		01-स्थावर संपत्ति का विक्रय 02-स्थावर संपत्ति की खरीद 03-मोटर यान का विक्रय 04-मोटर यान की खरीद 05-समय निक्षेप में विनिधान 06-नकद में जमा 07- प्रतिभूतियों का विक्रय 08- प्रतिभूतियों की खरीद 09- खाता खोलना (बचत और समय निक्षेप से भिन्न) 10- 50,000 रुपए से अधिक शेष के साथ खाता 11-बैंक ड्राफ्ट या वेतन आदेश की खरीद 12-क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जारी होने के लिए आवेदन 13-होटल को संदाय 14-विदेश में किसी देश के लिए यात्रा के संबंध में संदाय 15-भारत से बाहर खरीद या प्रेषण के लिए संदाय 16-इसके यूनिटों की खरीद के लिए पारस्परिक निधि का संदाय 17-अर्जन शेयरों के लिए संदाय 18-डिबेंचर या बंधपत्र अर्जित करने के लिए संदाय 19-जीवन बीमा प्रीमियम के रूप	विधिमान्य

		में संदाय 20-कंपनी के शेयरों का विक्रय 21- कंपनी के शेयरों की खरीद 22-ऊपर जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है ।	
ख 3.4	संव्यवहार रकम	रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार संव्यवहार रकम बिना दशमलव के रुपये के निकटतम पूर्ण रुपये में होनी चाहिए । यदि यह रकम भारतीय रुपये में नहीं है तो इसे भारतीय रुपये में संपरिवर्तित करें ।	विधिमान्यकरण
ख 3.5	संव्यवहार का ढंग	अनुज्ञेय मूल्य हैं - 01 - नकद 02 - चैक 03 - कार्ड 04 ड्राफ्ट/बैंककार चैक 05 आन लाइन धनंतरण 06 अन्य	विधिमान्यकरण

प्ररुप 61क के अनुदेश

प्रत्येक डाटा तत्व के लिए क्षेत्र की अपेक्षा उपदर्शित करता है कि क्या तत्व स्कीम में विद्यमान है या वैकल्पिक है ।

विधिमान्यकरण	"विधिमान्यकरण" तत्व किसी फाइल में अभिलेख के सभी डाटा के लिए अवश्य और कोई स्वत: चालित विधिमान्यकरण जांच होनी चाहिए । उपस्थित प्रेषक को एक्स एमएल उपकरण उपयोग करके अंतर्वस्तु डाटा फाइल की तकनीकी जांच करनी चाहिए । सुनिश्चित करने के लिए कि "विधिमान्यकरण" तत्व उपस्थित हैं और यदि वे नहीं है, प्रेषक को फाइल ठीक करनी चाहिए । आय-कर विभाग भी ऐसा ही करेगा यदि गलत है तो फाइल अस्वीकृत करेगा ।
(वैकल्पिक) आज्ञापक	आज्ञापक (वैकल्पिक) डाटा तत्व विधिमान्य स्कीम के लिए अपेक्षित नहीं है किंतु आई एस सूचना की उपलब्धता या अन्य कारक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए रिपोर्ट के लिए अपेक्षित है । ये तत्व अधिकतम (किंतु सभी में नहीं)परिस्थितियों में उपस्थित हैं, इसीलिए ऐसी विधिमान्यकरण आधारित नियम के आधार पर होगा ।
वैकल्पिक	प्ररुप में विनिर्दिष्ट कोई वैकल्पिक तत्व, रिपोर्ट किया जाए, यदि उपलब्ध है ।

विनिर्दिष्ट अनुदेश

क्रम सं.	तत्व	वर्णन	अपेक्षाएं
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम	विधिमान्यकरण
क.1.2	आईटीडीआरईआईएन (अस्तित्व पहचान सं. रिपोर्ट करने वाला आय-कर विभाग)	आईटीडीआरईआईएन आय-कर विभाग द्वारा जारी यूनिक आई डी है जो आय-कर विभाग के साथ रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् आय-कर विभाग द्वारा संसूचित किया जाएगा । आईटीडीआरईआईएन एक्स एक्स वाई वाई के प्ररुप में एक 16 अंकीय संख्या है जहां रिपोर्ट करने वाले का पैन या टैन और वाई वाई इसके फलस्वरूप उत्पन्न संख्या है । रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व वाला व्यक्ति किसी डमी सं. (पैन +99999 या टेन +9999) का उपयोग कर सकता है	विधिमान्यकरण

		जबतक आईटीडीआरईआईएन संसूचित किया जाता है ।	
क.1.3	रजिस्ट्रीकरण सं.	यह संख्या कोई रजिस्ट्रीकरण सं. है या वित्तीय संस्था के विनियमित के अनुसार तत्स्थानी में उपयोग की जाने वाली कोई संख्या है । यह संख्या रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन के दौरान विनियामक तत्स्थानी उपयोग की जाने वाली संख्या है ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
क 2.1	कथन प्रकार	प्रस्तुत किये जाने वाले कथन के प्रकार है । अनुज्ञेय मूल्य हैं : एन बी - नई सूचना अंतर्विष्ट में में नया कथन सी बी - पूर्व प्रस्तुत की गई सूचना के लिए शुद्धियों में अंतर्विष्ट कथन की शुद्धि टीडी - परीक्षण डाटा एन डी -- रिपोर्ट का कोई डाटा नहीं एक कथन में केवल एक कथन अंतर्विष्ट किया जा सकता है यहां तक कि यदि खोई सूचना प्रदाय की जानी है, किसी रिपोर्ट में वृद्धि के बजाय पूर्ण सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।	विधिमान्यकरण
क 2.2	कथन संख्या	कथन संख्या प्रेषक की यूनिक पहचान संख्या (प्रेषक द्वारा सृजित) को अभिगृहीत करने वाला एक मुक्त पाठ क्षेत्र है जो भेजे जाने वाले विशिष्ट कथन की पहचान करता है में की जाती है यदि विशिष्ट कथन भेजी जाती है । पहचानकर्ता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को विनिर्दिष्ट कथन की पहचान करने को अनुज्ञाकर्ता है यदि बाद में कोई प्रश्न या शुद्धियां आती हैं । आयकर विभाग कथन के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात्	विधिमान्यकरण

		नया यूनिक कथन आई डी भावी संदर्भ के लिए आबंटित किया जायेगा । रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को कथन संख्या और कथन आई डी के बीच संबंध बनाये रखने चाहिए 2015/01 कथन संख्या का उदाहरण है ।	
क. 2.3	मूल कथन आई डी	मूल कथन का कथन आईडी जिसे चालू कथन में रिपोर्ट द्वारा लोप या निर्दिष्ट के बदले बदला जा सकता है । यदि कथन नया है और पूर्व कथन से असंबंधित है तो "ओ" यहां उल्लेखित करें ।	विधिमान्यकरण
क.2.4	शुद्धियों का कारण	पुनरीक्षण के लिए कारण कथन किया जाए जब मूल कथन शुद्ध किया जाता है । अनुज्ञेय मूल्य हैं: घ. मूल कथन की अभिस्वीकृति में अनेक गलतियां थी जिनका समाधान किया जा रहा है ङ. मूल कथन में गलतियों को स्वत: प्रेरणा से शुद्ध किया जा रहा है च. शुद्धिकरण रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है ढ. लागू नहीं होता क्योंकि यह नया कथन / परीक्षण डाटा है रिपोर्ट करने के लिए कोई डाटा नहीं है । य. अन्य कारण ।	विधिमान्यकरण
क. 2.5	कथन डाटा	यह डाटा और समय की पहचान करता है जब कथन का पालन किया किया गया था । यह तत्व अतिथेय प्रणाली द्वारा अभि होगा। यह फार्मेट वर्ष/मास/दिन घंटे:मिनट:सैकंड के उपयोग के लिए है । सेकंड के	विधिमान्यकरण

		अंश उपयोग नहीं किया जाता है । उदाहरण: 2016-03-15 टी09.45:30	
क. 2.6	रिपोर्ट करने वाली अवधि	यह वर्ष/मास/दिन में रिपोर्ट करने वाली अवधि यह पहचान करती है । उदाहरण के लिए यदि रिपोर्ट की जाने वाली सूचना, खाते के लिए या वर्ष 2015 के कैलंडर में किए गए संदाय के लिए हैं तो, क्षेत्र को "2015-12-31" पढ़ा जाएगा	विधिमान्यकरण
क.2.7	रिपोर्ट की किस्म	कथन में अंतर्विष्ट रिपोर्टों की किस्में । अनुज्ञेय मूल्य हैं ए एफ संकलित वित्तीय संव्यवहार बी ए बैंक/डाकघर खाता आई एम स्थावर संपत्ति संव्यवहार सी बी सीमापार संव्यवहार	विधिमान्यकरण
क.2.8	रिपोर्टों की संख्या	कथन में रिपोर्टों की संख्या	विधिमान्यकरण
क.3.1	अभिहित निदेशक का नाम	अभिहित निदेशक का नाम । आयकर अधिनियम की धारा 285खक और आयकर नियम के 114ड. (7) के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण में निर्दिष्ट	विधिमान्यकरण
क.3.2	अभिहित निदेशक का पदनाम	फाइल करने वाला कथन के संगठन में अभिहित निदेशक का पदनाम ।	विधिमान्यकरण
क 3.3	पता	मकान संख्या, भवन नाम, गली, अवस्थिति, नगर, राज्य डाक कूट और देश सहित नोडल अधिकारी का पूर्ण पता	विधिमान्यकरण
क. 3.4	शहर नगरी	शहर, नगर या ग्राम का नाम	विधिमान्यकरण
क.3.5	डाक कूट	भारत के मामले में छह अंकीय पिन कूट भारतीय डाक के रूप में उल्लिखित किया जाए । यदि देश के बाहर है, संबंधित देश के कूट का उपयोग किया जा सकता है यदि पिन कूट .उपलब्ध नहीं है एक्स एक्स का	विधिमान्यकरण

		उपयोग करें ।	
क.3.6	राज्य कूट	दो अंकीय राज्य कूट भारतीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार उल्लिखित किया जाना है ।यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं है, एक्सएक्स उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
क.3.7	देश कूट	देश कूट आईएसओ 3166 के अनुसार में उल्लिखित किया जाए जैसे भारत के लिए आई एन । यदि देश कूट उपलब्ध नहीं है, एक्स एक्स उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
क.3.8	टेलिफोन	फार्मेट एसटीडी कूट टेलिफोन नं. में टेलिफोन नं. (उदाहरण 0120-2894016)	विधिमान्यकरण
क.3.9	मोबाइल	संपर्क मोबाइल सं. से पहले कृपया "शून्य" न जोड़े	विधिमान्यकरण
क.3.10	फैक्स	एस टी डी कूट में फैक्स नं. - टेलिफोन नं. (उदाहरणार्थ 0120-2894016)	वैकल्पिक
क.3.11	ई-मेल	नोडल अधिकारी का ई-मेल	विधिमान्यकरण
भाग ख	वित्त संव्यवहार के योग का ब्यौरा	सावधिक जमा, क्रैडिट कार्डस, पारस्परिक निधि, बंध/डिबैंचर, जारी किए गए शेयर/वापिस क्रय किए गए शेयर, विदेशी मुद्रा का विक्रय में वित्तीय संव्यवहारों के लिए यह भाग रिपोर्ट किया जाए ।	विधिमान्यकरण
ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	संख्या किसी विवरण में किसी रिपोर्ट का विशेषतया प्रतिनिधित्व करती है । रिपोर्ट का क्रम संख्या विवरण में विशिष्ट होनी चाहिए । विवरण पहचान के साथ संख्या विशिष्ट रूप से आईटीडी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की पहचान करेगी ।	विधिमान्यकरण

ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	मूल रिपोर्ट, जिसे प्रतिस्थापित किया जाना है या जिसका लोप किया जाना है, की रिपोर्ट क्रम संख्या । मूल विवरण आईडी के साथ यह संख्या विशेष रूप से उस रिपोर्ट की पहचान करेगी जिसे ठीक किया जा रहा है । किसी रिपोर्ट में किसी शुद्धि न होने की दशा में यहां '0' का वर्णन करें ।	विधिमान्यकरण
ख.2.1	व्यक्ति का नाम	व्यष्टि या अस्तित्व का नाम	विधिमान्यकरण
ख.2.2	व्यक्ति का प्रकार	अनुज्ञेय मूल्य इस प्रकार है : आईएन – व्यष्टि एसपी – एकल स्वत्व पीएफ – भागीदारी फर्म एचएफ – हि.अ.कू. सीआर – प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीवी – पब्लिक लिमिटेड कंपनी एसओ – सोसाइटी एओ – व्यक्तियों का संगम/व्यष्टिकों का निकाय टीआर – न्यास एलएल – परिसमापक एलएल – एलएलपी जेडजेड – अन्य एक्सएक्स – अवर्गीकृत	विधिमान्यकरण
ख.2.3	ग्राहक पहचान	ग्राहक पहचान/संख्या का आबंटन रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा किया जाएगा (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.4	लिंग (व्यष्टिकों के लिए)	अनुज्ञेय मूल्य इस प्रकार है एम – पुरूष एफ – महिला ओ – अन्य एन – लागू नहीं (अस्तित्वों के लिए) एक्स – अवर्गीकृत	विधिमान्यकरण

ख.2.5	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	पिता का नाम (यदि उपलब्ध हो) । आज्ञापक यदि पैन की रिपोर्ट नहीं की गई हो ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.6	पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्यांक	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.7	आधार संख्या (व्यष्टिकों के लिए)	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.8	प्ररूप 60 की पावती	प्ररूप 60 पावती संख्या, यदि लागू हो	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.9	पहचान प्रकार	व्यष्टि की पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज । अनुज्ञेय मूल्य इस प्रकार हैं : क – पासपोर्ट ख – निर्वाचन पहचान कार्ड ग – पैन कार्ड घ – सरकार/पीएसयू द्वारा जारी पहचान कार्ड ड. – चालन अनुज्ञप्ति च – यूआईडीएआई पत्र / आधार कार्ड छ – नरेगा जॉब कार्ड ज – अन्य यदि वैध पैन कार्ड की रिपोर्ट नहीं की गई है तो आज्ञापक	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.10	पहचान संख्या	यदि वैध पैन कार्ड की रिपोर्ट नहीं की गई है तो पहचान दस्तावेज में वर्णित संख्या आज्ञापक	(वैकल्पिक) आज्ञापक

ख.2.11	जन्म तारीख/ व्यवसाय	व्यष्टि : वास्तविक जन्म की तारीख ; कंपनी : निगमन की तारीख ; व्यक्तियों का संगम : विरचना/सृजन की तारीख ; न्यास : न्यास विलेख के सृजन की तारीख ; भागीदारी फर्म : भागीदारी विलेख की तारीख ; एलएलपी : निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख ; अविकू : अविकू के सृजन की तारीख और जहां सृजन की तारीख उपलब्ध नहीं है वहां पैतृक अविकू के लिए तारीख 01-01-0001 हो सकेगी। यदि वैध पैन कार्ड की रिपोर्ट नहीं की गई है तो आज्ञापक	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.12	राष्ट्रीयता/निगमन का देश	2 अक्षरों का देश कूट (आईएसओ 3166)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.13	कारबार या व्यवसाय	कारबार या व्यवसाय (यदि उपलब्ध हो)	विधिमान्यकरण
ख.2.14	पता	गृह संख्या, भवन का नाम, स्ट्रीट, लोकलिटी, शहर, राज्य, डाक कूट और देश सहित व्यक्ति का पूरा पता	विधिमान्यकरण
ख.2.15	पता प्रकार	पते का विधिक चरित्र उपदर्शित करें, अनुज्ञेय मूल्य इस प्रकार हैं 1 – आवासीय या कारबार 2 – आवासीय 3 – कारबार 4 – रजिस्ट्रीकृत पता 5 – अविनिर्दिष्ट	विधिमान्यकरण
ख.2.16	नगर/शहर	नगर, शहर या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक) आज्ञापक

ख.2.17	डाक कूट	भारत की दशा में भारतीय डाक के अनुसार छह अंकीय पिन कूट का वर्णन किया जाना है, भारत से बाहर देशों की दशा में संबंधित कूट का उपयोग किया जा सकेगा । यदि पिन कूट उपलब्ध नहीं हो तोXXXXXX का उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
ख.2.18	राज्य कूट	भारतीय मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंकीय राज्य कूट का वर्णन किया जाना है । यदि राज्य कूट उपलब्ध न हो तो XX का उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
ख.2.19	देश कूट	आईएसओ 3166 के अनुसार देश कूट का वर्णन किया जाना है । भारत के लिए आई एन का उपयोग करें, यदि देश कूट उपलब्ध न हो तो XX का उपयोग करें ।	विधिमान्यकरण
ख.2.20	मोबाइल/टेलीफोन नंबर	प्राथमिक टेलिफोन (एसटीडी कूट – टेलिफोन नं.) या मोबाइल नं.(यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.21	अन्य संपर्क संख्या	अन्य टेलीफोन (एसटीडी कूट - टेलिफोन नं.) या मोबाइल नं.	विधिमान्यकरण
ख.2.22	ई-मेल	ई-मेल का पता (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.2.23	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य सूचना	विधिमान्यकरण
ख.3.1	उत्पाद का प्रकार	संव्यवहार से संबंधित उत्पाद की किस्म, अनुज्ञेय मूल्य इस प्रकार है बीडी – बंधपत्र या डिबेंचर सीसी – क्रेडिट कार्ड एफसी – विदेशी मुद्रा विक्रय एमएफ – पारस्परिक निधि एसआई – जारी किए गए शेयर एसबी – वापस क्रय किए गए शेयर टीडी – सावधिक जमा एक्सएक्स – अविनिर्दिष्ट	(वैकल्पिक) आज्ञापक

ख.3.2	व्यक्ति से प्राप्त सकल रकम का योग	व्यक्ति से कालावधि के दौरान प्राप्त सकल रकम का योग (जिसके अंतर्गत नकद है, यदि कोई हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.3.3	व्यक्ति से नकद में प्राप्त सकल रकम का योग	व्यक्ति से कालावधि के दौरान नकद में प्राप्त सकल रकम का योग (जिसके अंतर्गत नकद है, यदि कोई हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.3.4	व्यक्ति को संदत्त की गई कुल सकल रकम	वह अवधि जिसके दौरान व्यक्ति को कुल सकल रकम संदत्त की गई	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.3.5	संबद्ध खाता संख्या	खाता संख्यांक जिससे जिसको निधि अन्तरित की गई थी (यदि उपलब्ध हो)	वैकल्पिक
ख.3.6	संबद्ध संस्था का नाम	संस्था का नाम जिससे/जिसको निधि अन्तरित की गई	वैकल्पिक
ख.3.7	संबद्ध संस्था की संदर्भ संख्या	संस्था की संस्था संदर्भ संख्या जिससे/जिसको निधि अन्तरित की गई (यदि उपलब्ध हो)	वैकल्पिक
ख.3.8	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य सूचना	वैकल्पिक
ख.4.1	उत्पाद अभिज्ञाता	परिलक्षित उत्पाद का अनन्य अभिज्ञाता उदाहारणार्थ समय निक्षेप संख्यांक, क्रेडिट कार्ड संख्या आदि	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.4.2	संख्यक्दार की अंतिम तारीख	उत्पाद के लिए संव्यवहार की अंतिम तारीख	
ख.4.3	व्यक्ति से प्राप्त की गई कुल सकल रकम	वह अवधि जिसके दौरान व्यक्ति व्यक्ति द्वारा कुल सकल रकम संदत्त की गई	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.4.4	व्यक्ति से नकद में प्राप्त की गई कुल सकल रकम	वह अवधि जिसके दौरान व्यक्ति द्वारा नकद में कुल सकल रकम संदत्त की गई	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.4.5	व्यक्ति का संदत्त की गई कुल सकल रकम	वह अवधि जिसके दौरान व्यक्ति को कुल सकल रकम संदत्त की गई	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ख.4.6	संबद्ध खाता संख्या	खाता संख्यांक जिससे जिसको निधि अन्तरित की गई थी(यदि उपलब्ध हो)	वैकल्पिक

ख.4.7	संबद्ध संस्था का नाम	संस्था का नाम जिससे/जिसको निधि अन्तरित की गई	वैकल्पिक
ख.4.8	संबद्ध संस्था की संदर्भ संख्या	संस्था की संस्था संदर्भ संख्या जिससे/जिसको निधि अन्तरित की गई (यदि उपलब्ध हो)	वैकल्पिक
ख.4.9	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य सूचना	वैकल्पिक
भाग ग	बैंक/डाघ घर संख्यांक के ब्यौरे	यह भाग बैंक खाते या डाकघर खाते के लिए प्रतिवेदित किया जाना है जिसमें उपरोक्त विहित सीमा में नकद का जमा या प्रत्याहरित किया जाता है	
ग.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्या	संख्यांक अनन्य रुप से एक कथन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । रिपोर्ट क्रम संख्यांक कथन में अनन्य होना चाहिए। यह संख्यांक कथन आई डी के साथ आई टी डी से प्राप्त किसी रिपोर्ट को अनन्य रुप से अभिज्ञात करेगी	विधिमान्यकरण
ग.1.2	मूल रिपोर्ट की क्रम संख्या	मूल रिपोर्ट के रिपोर्ट क्रम संख्यांक जिसे प्रतिस्थापित या हटाया जाना है यह संख्यांक मूल कथन आई डी के साथ रिपोर्ट को अनन्य रुप से अभिज्ञात करेगा जो सही की जा रही है रिपोर्ट में कोई भी सुधार न किया जाय । 0 उल्लिखित करें ।	विधिमान्यकरण
ग.2.1	खाते के प्रकार	खाते के प्रकार अनुज्ञात मान बी एस – बचत खाता बी सी – चालू खाता एक्स एक्स – वर्गीकृत नहीं है	विधिमान्यकरण
ग.2.2	खाता संख्यांक	वित्तीय संस्था द्वारा उपयोग किए गये खाता संख्यांक को खाता अनुज्ञात करने के लिए उपबंधित करे यदि वित्तीय संस्था का कोई खाता संख्यांक नहीं है तो खाते को अनुज्ञात करने के लिए वित्तीय संख्या द्वारा उपयोग किए गए कृत्यकारी समतुल्य अनन्य अनुज्ञाता उपबंधित करे	विधिमान्यकरण

ग.2.3	खाता धारक का नाम	प्रथम/एक मात्र खाता धारक का नाम	विधिमान्यकरण
ग.2.4	खाते की प्रास्थिति	खाते की प्रास्थिति, अनुज्ञात मान ए –सक्रिय : खाता लगातार उपयोग में हे सी – बंद वित्तीय वर्ष के दौरान खात बंद है जेड – अन्य : उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध वही एक्स – वर्गीकृत नहीं : सूचना उपलब्ध नहीं है	विधिमान्यकरण
ग.2.5	शाखा संर्दभ संख्यांक	शाखा को अनन्य रुप से अनुज्ञात करने के लिए अनन्य संख्यांक (आई एफ एस सी कूट आदि) रिपोटिंग वित्तीय संख्या शाखा को अनन्य रुप से अनुज्ञात करने के लिए स्व-जनित का प्रयोग कर सकेंगे	विधिमान्यकरण
ग.2.6	शाखा का नाम	खाते के संबंध शाखा का नाम वह गृह खाखा या संबंद्ध शाखा का नाम हो सकेगा	विधिमान्यकरण
ग.2.7	शाखा का पता	शाखा का पूर्ण पता जिसमें गृह संख्यांक, भवन का नाम गली, मुहल्ला, शहर राज्य, पोस्टल कूट तथा देश सम्मिलित है	विधिमान्यकरण
ग.2.8	शहर/कस्बा	शहर, कस्बे या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ग.2.9	पोस्टल कूट	भारत की दशा में, भारतीय डाक के अनुसार ६ अंकी वाला पिन कूट उल्लिखित किया जाएगा भारत से बाहर के देशों की दशा में संबंधित कूट उपयोग में लिए जाएगे यदि देश का कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एच्स का प्रयोग करें	विधिमान्यकरण

ग.2.10	राज्य कूट	मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंको वाला राज्य कूट उल्लिखित करे यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का उपयोग करे	विधिमान्यकरण
ग.2.11	देश कूट	देश कूट आई एस ओ 3166 के अनुसार उल्लिखित करे भारत के लिए आई एन उपयोग करे यदि देश कूट उपलब्ध नहीं हो तो एक्स एक्स को उपयोग करे	विधिमान्यकरण
ग.2.12	दूरभाष	एस टी डी कूट रुप विधान में दूरभाष संख्या - दूरभाष संख्या (उदाहरणार्थ - 0120-2894016)	विधिमान्यकरण
ग.2.13	मोबाईल	मोबाईल सम्पर्क संख्या कृपया संख्या से पहले ० जोडे	विधिमान्यकरण
ग.2.14	फैक्स	एस टी डी कूट रुप विधान में फैक्स संख्या (उदाहरणार्थ 0120-2894016)	वैकल्पिक
ग.2.15	ई-मेल	शाखा प्रमुख का ई-मेल	विधिमान्यकरण
ग.2.16	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य वैकल्पिक सूचना	वैकल्पिक
ग.3.1	खाते में नकद कुल रुप में जमा कुल सकल रकम	अवधि के दौरान नकद रुप में खाते में जमा की गई कुल सकल रकम	विधिमान्यकरण
ग.3.2	खाते से नकद रुप में विकलित कुल सकल रकम	अवधि के दौरान नकद रुप से खाते से विकलित कुल सकल रकम	विधिमान्यकरण
ग.3.3	टिप्पणियां	टिप्पणियां या कोई अन्य सूचना	वैकल्पिक
ग.4.1	खाता संबंद्ध	संबंद्ध के प्रकार के लिए अनुज्ञात मान : एफ - पहला/एक मात्र खाता धारक एस – दूसरा खाता धारक टी – तीसरा खाता धारक ए – प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सी – नियंत्रक व्यक्ति जेड – अन्य एक्स – वर्गीकृत नहीं है	विधिमान्यकरण

ग.4.2	व्यक्ति	व्यष्टि या अस्तित्व का नाम	विधिमान्यकरण
ग.4.3	व्यक्ति का प्रकार	अनुज्ञात नाम : आई एन – व्यष्टि एस पी –एक मात्र व्यक्यित्व पी एफ – भागीदारी फर्म एच एफ - संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब सी आर - प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी सी बी - पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एस ओ - सोसाइटी ए ओ - व्यक्तियो/व्यक्तियों के नियमों का संघ टी आर - न्यास एल आई - परिसमापक एल एल - एल एल पी जेड जेड - अन्य एक्स एक्स –वर्गीकृत नहीं	विधिमान्यकरण
ग 4.4	उपभोक्ता आई डी	उपभोक्ता आई डी / रिपोटिंग सत्ता द्वारा आबटिंत सख्यांक (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.5	लिंग (व्यक्तियों के लिए)	अनुज्ञात मान एम - पुरुष एफ - महिला ओ - अन्य एन - लागू नहीं (सत्ताओं के लिए) एक्स - वर्गीकत नही	विधिमान्यकरण
ग 4.6	पिता का नाम (व्यक्तियों के लिए)	पिता का नाम (यदि उपलब्ध हो) आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.7	पेन	आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्यांक	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.8	आधार संख्या (व्यक्तियों के लिए)	यू आई डी ए आई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि लागु हो)	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.9	प्रारुप 60 अभिस्वीकृति	प्रारुप 60 अभिस्वीकृति संख्या, यदि लागु हो	(वैकल्पिक आज्ञापक)

ग 4.10	पहचान का प्रकार	व्यक्ति की पहचान के सबूत के रुप में प्रस्तुत दस्तावेज अनुज्ञात मान ए - पासपोर्ट बी - निर्वाचन आई डी कार्ड सी - पेन कार्ड डी - सरकार / पी एस यू द्वारा जारी आई डी कार्ड ई - चालन अनुज्ञप्ति जी - यू आई डी ए आई पत्र / आधार कार्ड एच - नरेगी जाब कार्ड जेड - अन्य आज्ञापक, यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.11	पहचान संख्या	पहचान करने वाले दस्तावेज में उल्लिखित संख्या आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.12	जन्म तारीख / निगमीकरण	व्यष्टि: वास्तविक जन्म तारीख ; कम्पनी: निगमीकरण की तारीख ; व्यक्तियों का संघ :निर्माण सृजन की तारीख ; न्यास : न्यास विलेख के सृजन की तारीख ; भागीदारी फर्म: भागीदारी विलेख की तारीख ; एल एल पी : निगमीकरण / रजिस्ट्रीकरण की तारीख ; एच यू एफ: एच यू एफ के सृजन की तारीख और पैतृक एच यू एफ के लिए जहां सजृन की तारीख उपलब्ध नहीं वहां 01.01.0001 हो सकेगी । डाटा रुप विधान तारीख/ मास/ वर्ष होगा आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)

ग 4.13	राष्ट्रीयता/ निगमीकरण वाली देश	2 हैसियत देश कूट (आई एस ओ 3166)	(वैकल्पिक आज्ञापक)
ग 4.14	कारबार या उपजीविका	कारबार या उपजीविका (यदि लागु हो)	वैकल्पिक
ग 4.15	पता	व्यक्ति का पूर्ण पता जिसमें गृह संख्यांक, भवन का नाम गली, मुहल्ला, शहर राज्य, पोस्टल कूट तथा देश सम्मिलित है	विधिमान्यकरण
ग 4.16	पते का प्रकार	पते का विधिक चरित्र उपदर्शित करे - अनुज्ञात मान 1. निवासीय या कारबार 2. निवासीय 3. कारबार 4. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 5. अविनिर्दिष्ट	वैकल्पिक
ग 4.17	शहर कस्बा	शहर, कस्बे या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ग 4.18	डाक का पता	भारत की दशा में, भारतीय डाक के अनुसार 6 अंक वाला पिन कूट उल्लिखित किया जाएगा भारत से बाहर के देशों की दशा में संबंधित कूट उपयोग में लिए जाएगे यदि देश का कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का प्रयोग करें।	विधिमान्यकरण
ग 4.19	राज्य कोड़	मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंको वाला राज्य कूट उल्लिखित करे यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का उपयोग करे	विधिमान्यकरण
ग 4.20	देश कोड़	देश कूट आई एस ओ 3166 के अनुसार उल्लिखित करे भारत के लिए आई एन उपयोग करे यदि देश कूट उपलब्ध नहीं हो तो एक्स एक्स को उपयोग करे	वैकल्पिक

ग.4.21	मोबाइल दूरभाष संख्या	प्राथमिक दूरभाष (एस टी डी कूट - दूरभाष संख्या) या मोबाइल संख्या	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ग.4.22	अन्य संपर्क संख्या	अन्य दूरभाष (एस टी डी कूट - दूरभाष संख्या) या मोबाइल संख्या	वैकल्पिक
ग.4.23	ई-मेल	ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
ग.4.24	टिप्पणियां	टिप्पणिया या कोई अन्य सूचना	वैकल्पिक
भाग घ	स्थावर सम्पत्ति के लिए ब्यौरे	यह भाग स्थावर सम्पत्ति के संव्यवहारों के लिए प्रतिवेदित किया जाता है ।	
घ.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्या	संख्यांक अनन्य रुप से एक कथन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । रिपोर्ट क्रम संख्यांक कथन में अनन्य होना चाहिए। यह संख्यांक कथन आई डी के साथ आई टी डी से प्राप्त किसी रिपोर्ट को अनन्य रुप से अभिज्ञात करेगी	विधिमान्यकरण
घ.1.2	मूल रिपोर्ट की क्रम संख्या	मूल रिपोर्ट के रिपोर्ट क्रम संख्यांक जिसे प्रतिस्थापित या हटाया जाना है यह संख्यांक मूल कथन आई डी के साथ रिपोर्ट को अनन्य रुप से अभिज्ञात करेगा जो सही की जा रही है रिपोर्ट में कोई भी सुधार न किया जाय । 0 उल्लिखित करें ।	विधिमान्यकरण
घ.2.1	संव्यवहार की तारीख	संव्यवहार की तारीख, डाटा डीडी / एम एम / बाई वाई वाई वाई वाई रुप वविधान में हो	विधिमान्यकरण
घ.2.2	संव्यवहार आई डी	संव्यवहार की पहचान करने के लिए अनन्य आई डी	(वैकल्पिक) आज्ञापक

घ.2.3	संव्यवहार का प्रकार	अनुज्ञात मान एस पी - विक्रय जी एफ - दान ए जी - विक्रय करार पी आर - विभाजन एस टी- बंदोबस्त आर एल - त्यजन ई आर - आस्ति में किसी अधिकार का निर्वाचन सी ए - अनिवार्य अर्जन टी पी - सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (1882 का 4) की धारा 53 क के अनुसार अंतरण एस एच - शेयरों के अर्जन द्वारा अन्तरण जेड जेड - अन्य एक्स एक्स - वर्गीकृत नहीं	विधिमान्यकरण
घ.2.4	संव्यवहार की रकम	रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनवसार संव्यवहार की रकम । रकम दशमलव के बिना रुपये के निकट पूर्ण की जानी चाहिए । यदि ऐसी रकम भारतीय रुपयों में नहीं है तो वह संपरिवर्तित की जाएगी ।	विधिमान्यकरण
घ.2.5	सम्पत्ति का प्रकार	संव्यवहार के अधिनस्थ आस्ति, अनुज्ञात मान ए - कृषि भूमि एन - गैर कृषि भूमि सी - वाणिज्यिक सम्पत्ति आर - निवासीय सम्पत्ति जेड - अन्य एक्स - वर्गीकृत नहीं ।	विधिमान्यकरण
घ.2.6	क्या सम्पत्ति नगर की सीमा में है ।	अनुज्ञात मान वाई - हां एन - नहीं एक्स - वर्गीकृत नहीं ।	विधिमान्यकरण

घ.2.7	सम्पत्ति का पताी	सम्पत्ति का पता ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ.2.8	शहर/कस्बा	शहर, कस्बे या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ.2.9	पोस्टल कूट	भारत की दशा में, भारतीय डाक के अनुसार ६ अंकी वाला पिन कूट उल्लिखित किया जाएगा भारत से बाहर के देशों की दशा में संबंधित कूट उपयोग में लिए जाएगे यदि देश का कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का प्रयोग करें	विधिमान्यकरण
घ.2.10	राज्य कोड़	मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंको वाला राज्य कूट उल्लिखित करे यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स को उपयोग करे	विधिमान्यकरण
घ.2.11	देश कोड़	देश कूट आई एस ओ 3166 के अनुसार उल्लिखित करे भारत के लिए आई एन उपयोग करे यदि देश कूट उपलब्ध नहीं हो तो एक्स एक्स को उपयोग करे	विधिमान्यकरण
घ.2.12	स्टाम्प का मूल्य	स्टाम्प का मूल्यांकन का मूल्य उपबंधित किया जाएगा ।	विधिमान्यकरण
घ.2.13	टिप्पणियां	टिप्पणियां या अन्य कोई सूचना	वैकल्पिक
घ.3.1	संव्यवहार संबंद्ध	संव्यवहार से व्यक्ति का संबंद्ध अनुज्ञात मान एस - विक्रेता अन्तरक बी - क्रेता अन्तरिति सी - पुष्टिकरण पक्षकार पी - मुख्तारनामा धारक जेड - अन्य एक्स - वर्गीकृत नही	विधिमान्यकरण

घ.3.2	व्यक्ति से संबंद्ध संव्यवहार की रकम	व्यक्ति से संबंद्ध संव्यवहार की रकम रकम दशमलव के बिना रुपयों के निकट पूर्ण की जानी चाहिए । यदि ऐसी रकम भारतीय रुपयों में नहीं है तो वह संपरिवर्तित की जाएगी ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ.3.3	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति या सत्ता का नाम	विधिमान्यकरण
घ.3.4	व्यक्ति का प्रकार	अनुज्ञात नाम : आई एन – व्यष्टि एस पी –एक मात्र व्यक्यित्व पी एफ – भागीदारी फर्म एच एफ - संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब सी आर - प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी सी बी - पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एस ओ - सोसाइटी ए ओ - व्यक्तियो/व्यक्तियों के नियमों का संघ टी आर - न्यास एल आई - परिसमापक एल एल - एल एल पी जेड जेड - अन्य एक्स एक्स –वर्गीकृत नहीं	विधिमान्यकरण
घ.3.5	लिंग (व्यष्टि के लिए)	अनुज्ञात मान एम - पुरुष एफ - महिला ओ - अन्य एन - लागू नहीं (सत्ताओं के लिए) एक्स - वर्गीकत नही	विधिमान्यकरण
घ.3.6	पिता का नाम (व्यक्तियों के लिए)	पिता का नाम (यदि उपलब्ध हो) आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ.3.7	स्थायी लेखा संख्यांक	आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्यांक	(वैकल्पिक आज्ञापक)
घ.3.8	आधार संख्या (व्यक्तियों के लिए)	यू आई डी ए आई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि लागु हो)	(वैकल्पिक आज्ञापक)

घ.3.9	प्रारुप 60 अभिस्वीकृति	प्रारुप 60 अभिस्वीकृति संख्या, यदि लागु हो	(वैकल्पिक आज्ञापक)
घ 3.10	पहचान का प्रकार	व्यक्ति की पहचान के सबूत के रुप में प्रस्तुत दस्तावेज अनुज्ञात मान ए - पासपोर्ट बी - निर्वाचन आई डी कार्ड सी - पेन कार्ड डी - सरकार / पी एस यू द्वारा जारी आई डी कार्ड ई - चालन अनुज्ञप्ति जी - यू आई डी ए आई पत्र / आधार कार्ड एच - नरेगा जाब कार्ड जेड - अन्य आज्ञापक, यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)
घ. 3.11	पहचान संख्या	पहचान करने वाले दस्तावेज में उल्लिखित संख्या आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)
घ 3.12	जन्म तारीख / निगमीकरण	व्यष्टि : वास्तविक जन्म तारीख ; कम्पनी: निगमीकरण की तारीख ; व्यक्तियों का संघ :निर्माण सृजन की तारीख ; न्यास : न्यास विलेख के सृजन की तारीख ; भागीदारी फर्म: भागीदारी विलेख की तारीख ; एल एल पी : निगमीकरण / रजिस्ट्रीकरण की तारीख ; एच यू एफ: एच यू एफ के सृजन की तारीख और पैतृक एच यू एफ के लिए जहां सजृन की तारीख उपलब्ध नहीं वहां 01.01.0001 हो सकेगी । डाटा रुप विधान तारीख/ मास/वर्ष होगा आज्ञापक यदि पेन प्रतिवेदित नहीं किया गया है ।	(वैकल्पिक आज्ञापक)

घ 3.13	राष्ट्रीयता/ निगमीकरण वाला देश	2 हैसियत देश कूट (आई एस ओ 3166)	(वैकल्पिक आज्ञापक)
घ 3.14	पता	व्यक्ति का पूर्ण पता जिसमें गृह संख्यांक, भवन का नाम गली, मुहल्ला, शहर राज्य, पोस्टल कूट तथा देश सम्मिलित है	विधिमान्यकरण
घ 3.15	शहर/कस्बा	शहर, कस्बे या ग्राम का नाम	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ 3.16	पोस्टल कूट	भारत की दशा में, भारतीय डाक के अनुसार 6 अंक वाला पिन कूट उल्लिखित किया जाएगा भारत से बाहर के देशों की दशा में संबंधित कूट उपयोग में लिए जाएगे यदि देश का कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का प्रयोग करें	विधिमान्यकरण
घ 3.17	राज्य कूट	मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार दो अंको वाला राज्य कूट उल्लिखित करे यदि राज्य कूट उपलब्ध नहीं तो एक्स एक्स का उपयोग करे	विधिमान्यकरण
घ 3.18	देश कूट	देश कूट आई एस ओ 3166 के अनुसार उल्लिखित करे भारत के लिए आई एन उपयोग करे यदि देश कूट उपलब्ध नहीं हो तो एक्स एक्स को उपयोग करे	विधिमान्यकरण
घ 3.19	मोबाइल या दूरभाष संख्या	प्राथमिक दूरभाष (एस टी डी कूट - दूरभाष संख्या) या मोबाइल संख्या	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ 3.20	अन्य संपर्क संख्या	अन्य दूरभाष (एस टी डी कूट - दूरभाष संख्या) या मोबाइल संख्या	वैकल्पिक
घ 3.21	ई-मेल	ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)	(वैकल्पिक) आज्ञापक
घ 3.22	टिप्पणिया	टिप्पणिया य कोई अन्य सूचना	वैकल्पिक